हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संख्या एस0एम0जे0–120/2012–13 (बड)–आर0डी0डी0– दिनांक जुलाई,2018

अधिसूचना

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बी0 पी0 एल0) के चयन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस विभाग के पत्र दिनांक 29–01–2007 व 21–03–2013 द्वारा जारी दिशा– निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार के मुखिया से ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर घोषणा पत्र (Affidavit) प्राप्त किया जाएगा :–

- कि मेरे परिवार के पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या 1 हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है ।
- मेरे परिवार के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का/बड़ा निजी घर नहीं है ।
- मेरा परिवार आयकर नहीं देता है।
- मेरे परिवार की वेतन, पैंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आय मु0 2500/– रू0 से अधिक नहीं है।
- मेरे परिवार से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबन्ध पर कार्यरत नहीं है।

(ख) प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को (सिवाय दिब्यांग व 70 वर्ष की आयु से अधिक सदस्यों) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) में एक वर्ष में कम से कम 20 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई परिवार इस शर्त को पूर्ण नहीं कर पाता, तो ग्राम सभा द्वारा ऐसे परिवार का नाम बी0पी0एल0 सूची से काट दिया जाएगा।

(ग) बी0पी0एल0 परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(घ) यदि बी0पीएल0 परिवार का कोई सदस्य अलग परिवार के रूप में अपना नाम दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करता है तो उस अवस्था में ऐसे नये परिवार को आगामी 3 वर्षों तक बी0पी0एल0 सूची में शामिल नहीं किया जायेगा तथा अविवाहित लोगों का परिवार बी0पी0एल0 के लिये अलग परिवार नहीं माना जायेगा।

P.T.O.

जायेगा तथा अविवाहित लोगों का परिवार बी0पी0एल0 के लिये अलग परिवार नहीं माना जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया जाता है कि :–

(1) ऐसी ग्राम पंचायतें जहां अब एक भी परिवार बी0पी0एल0 में नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के बी0पी0एल0 परिवारों के लक्ष्य को सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा उसी विकास खण्ड की अन्य ग्राम पंचायतों में पूर्व आबंटित लक्ष्य के समानुपात बांटा जाएगा तथा विकास खण्डों व जिले का बी0पी0एल0 लक्ष्य पूर्ववत ही रहेगा। बी0पी0एल0 मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा विशेष अनुदान/योजना का प्रावधान किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा प्रदेश में हर वर्ष अप्रैल माह में होने वाली ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

आदेश द्वारा

(डा0आर0एन0 बत्ता),
सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचा0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

संख्या एस0एम0जे0–120/2012–13 (बड)–आर0डी0डी0– 229-57 दिनांक 13/07/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उप मण्डलाधिकारी (ना0),हिमाचल प्रदेश।
5. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, घोड़ा चौकी, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं इस आश्य सहित कि इस अधिसूचना की प्रति समस्त ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाए तथा ग्राम सभाओं की बैठक में भी आम लोगों को जानकारी दी जाए।

(राकेश कंवर)
विशेष सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचा0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
दूरभाष संख्या 2623820
ई0 मेल0 आई0 डी0 rddhimachal@gmail.com